

30/11/24

पत्रावली पेश हुई। बादीगण वकील अनु०
न्यायालय समय में वादीगण वकील को रोक-
रुक कर तीन बार आवाज भगाई लेकिन कोई
उप० नहीं आया। अतः वादीगण का अदम
पैरवी अदम हाजरी में खारीन किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) चौहटन